

जिला अभियंता का कार्यालय

जिला परिषद, सारण छपरा।

(ई-टेंडरिंग द्वारा www.eproc2.0bihar.gov.in)

अल्पकालीन ई0-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 01/2026-27

1. विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता : जिला अभियंता, जिला परिषद, सारण छपरा।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक-11.05.2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक-25.05.2026 से 30.05.2026 के 15:00 बजे तक
(on website-www.eproc2.bihar.gov.in)
4. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक-30.05.2026 के 15:00 बजे तक
(on website-www.eproc2.bihar.gov.in)
5. प्री-बीड मीटिंग का स्थान तिथि एवं समय : जिला अभियंता जिला परिषद सारण के कार्यालय में
दिनांक-27.05.2026 के अपराह्न 12:30 बजे से
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय : दिनांक-01.06.2026 के 15:30 बजे के बाद
(on website-www.eproc2.bihar.gov.in)
7. अग्रधन एवं शपथ-पत्र (मूल में) जमा करने की अंतिम तिथि/समय एवं स्थान : दिनांक-31.05.2026 के 15:00 बजे तक
जिला अभियंता, कार्यालय, जिला परिषद, छपरा।
8. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड निष्पादन के पश्चात्।
9. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन

कार्य का विवरण :-

युप0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (EMD-2%)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रु0 में)	Bid Processing Fee(Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रु0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्कुलिडिंग गोनसून अवधि माह में)
1	जिला परिषद् सारण अंतर्गत प्रखंड बनियापुर, दिघवारा, अमनौर एवं एकमा में कुल 12 अदद सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य।	90.00	1.80	10,000.00	As per eproc	06 माह
2	जिला परिषद् सारण अंतर्गत प्रखंड सदर छपरा एवं दिघवारा में कुल 13 अदद सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य।	97.50	1.95	10,000.00	As per eproc	06 माह
3	जिला परिषद् सारण अंतर्गत प्रखंड सदर छपरा, बनियापुर, दिघवारा, मशरक एवं लहलादपुर में 05 अदद सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य।	64.90	1.30	10,000.00	As per eproc	06 माह


10. कोई भी समूचित श्रेणी के संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं।

11. निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.eproc2.0bihar.gov.in/prdbihar एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।
12. निविदा केवल ई-निविदा प्रद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.0bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-मेल से संबंधित जानकारी सहायता हेतु eproc2.0support@bihar.gov.in एवं Toll Free no- 18005726571, तथा Eproc 2.0 Help Desk Address- mjunction services limited RJ complex, 2ndfloor, Canara Bank Campus, Khajpura Ashiana Road, P.S. & Shastri Nagar Patna 800014, Bihar से प्राप्त किया जा सकता है।
13. निविदा के तकनीकी बिड में निम्नलिखित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा। यथा-

- (क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
- (ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं अर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।
- (ग) पैन कार्ड की प्रति।
- (घ) GST निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
- (ङ) संवेदक को अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (च) निविदा कार्य (भवन कार्य) के समरूप कार्यों का अनुभव प्रमाण-पत्र विगत तीन वर्षों में एक वर्ष का निम्न प्रकार आवश्यक है:-
- (A) आर0सी0सी0 वर्क-10%
- (B) ब्रिक वर्क-10%
- (C) मिट्टी कार्य-10%
- (D) विद्युत कार्य का अनुभव आपेक्षित है।
14. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेन्ट(Service Provider) के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाईट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें (User ID) तथा पासवर्ड (Passoword)मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificate encription) भी प्राप्त करना होगा। User ID,Passoword,DSC (Digital Signature Certificate) एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक वेबसाईट (www.eproc2.0bihar.gov.in)के माध्यम से ई-निविदा में भाग ले सकेंगे। Eproc1.0 के existing vendors को अपने existing loginId द्वारा Eproc2.0 portal में enroll करना होगा। विशेष जानकारी के लिए Eproc2.0 Helpdesk से सम्पर्क किया जा सकता है।
15. निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र (Corrigendum/Addendum) वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
16. Bid-Processing Fee + GST भुगतान संवेदक Internet Payment gateway (Credit/Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS/Challan के माध्यम से B.S.E.D.C.के Bid – Processing Fee Account में Credit करेंगे एवं प्राप्ति रसीद अपलोड करेंगे ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
17. निविदा कागजात (BOQ) का मूल्य की राशि का भुगतान संवेदकों को Eproc2.0 portal पर Online Mode में जमा करना अनिवार्य है। किये गये भुगतान से संबंधित कागजात की Scanned Copy साक्ष्य के तौर पर निविदा कागजातों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
18. (क) Earnest Money is mandatory to be paid through online mode i.e. internet payment gateway (Credit/Debit card), Net banking, NEFT/RTGS.
(ख) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी।
(ग) "Bids along with necessary online payment must be submitted through e-Procurement Portal- www.eproc2.0bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The Department/Office does not take any responsibility for the delay/non submission of tender/non reconciliation of online payment caused due to non availability of internet connection, Network traffic/Holidays or any other reason."

19. निविदा डालने के समय सभी प्रमाण पत्रों की स्व0-हस्ताक्षरित प्रति निविदा कागजातों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
20. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत निर्माण श्रमिकों के लिए सेस के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा।
21. बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के तहत जी0एस0टी0/रॉयल्टी/मालिकाना फीस आदि की कटौती किया जायेगा।
22. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
23. संवेदक सभी मूल कागजातों को स्कैन कर अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमबद्ध करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। प्रत्येक M.S Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाय। अन्य Format में Upload document के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
24. (क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर शब्दों में अंकित दर ही मान्य होगा।
(ख) कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित राशि के प्रतिशत, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-447(S) एवं ज्ञापांक-448 (S) दिनांक-16.01.2020 एवं अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- प्र0-7/मुक0-02-25/2022- 4439(E) दिनांक- 17.07.2023 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In percentage rate Tender) पद्धति में प्राप्त सभी निविदा दर की न्यूनतम अधिसीमा को समाप्त किया जाता है। प्रतिशत कम दर उद्धृत करने पर प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-449 (S) दिनांक-16.01.2020 के अनुसार एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance गारंटी (Additional Performance Guarantee) देना होगा।
25. संवेदकों को eproc2.0 Application में Bid encryption का अनिवार्य प्रावधान है।
26. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल की उपलब्धता, परिमाण विपत्र के प्रत्येक मदों, दर एवं क्वैरी साईट इत्यादि की स्थिति, लीड, ढुलाई दर एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी प्राप्त कर आशवस्त हो लेंगे। निविदा के दौरान अथवा निविदा के पश्चात यदि किसी कारणवश, यथा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन में संशोधन (सक्षम प्राधिकार द्वारा संशोधित) होने के परिमाणस्वरूप यदि किसी मद के दर/ढुलाई दर (Carriage Rate) में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तित दर मान्य होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अतः उक्त बिन्दुओं पर संतुष्ट होने के पश्चात ही निविदा जमा करेंगे।
27. कार्य की पूर्ण जानकारी (साईट लोकेशन, वर्तमान अवस्थित पहुँच पथ की स्थिति एवं अन्य विविध जानकारी) के लिए जिला अभियंता, जिला परिषद, छपरा के कार्यालय से किसी कार्य दिवस की कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
28. इस कार्य हेतु डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि तीन वर्ष होगी।
29. तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
30. कालीकृत/डीबार किये गये संवेदक/फर्म (फर्म से संबंधित पार्टनर कोई एक पार्टनर भी) इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे तथा एकरारनामा एवं विहित निर्देशानुसार कार्य निष्पादन नहीं करने पर बिहार टेकादारी निबंधन नियमावली 2007 के प्रावधान के तहत संवेदक/फर्म को निलंबन एवं काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के किसी विभाग के द्वारा डिबार एवं कालीकृत नहीं किये जाने संबंधी शपथ-पत्र देना होगा। जाँचोपरान्त शपथ-पत्र गलत पाये जाने पर निविदा अमान्य कर दी जाएगी एवं संवेदक के विरुद्ध विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी।
31. परिमाण विपत्र की राशि घट/बढ़ सकती है तदनुसार देय अग्रधन की राशि संशोधित होगी।
32. निविदादाता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें अथवा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने अथवा लिंक फेल होने अथवा किसी तरह के बाध्यता के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
33. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाएगा विलम्ब की स्थिति में सूद का दावा मान्य नहीं होगा।

34. समय-समय पर विभाग द्वारा दिया गया अनुदेश, निविदा एवं एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा।
35. Existing Commitment On Going Work से संबंधित प्रमाण-पत्र देना होगा। जो सक्षम प्राधिकार/कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत होना चाहिए। अथवा स्वयं का शपथ-पत्र के साथ देना होगा।
36. निम्नलिखित शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा :-
- (क) "I, the undersigned, do thereby certify that all statement made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as black listing."
- (ख) Certified that statement showing, values of all existing commitment and ongoing works as well as stipulated period of completion remained for, each work attached with the tender is true and no fact has been hidden
- (ग) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।
- (घ) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी,माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (ङ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है। प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार है सत्य है यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किया गया कार्य निरस्त कर दिया जायेगा।
37. निबंधित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिसूचना संख्या 1020 दिनांक 15/02/2001 के आलोक में निविदा में संवेदक द्वारा संलग्न किये जाने वाले शपथ पत्र में 20रु0 + 5रु0 = 25रु0 के स्थान पर 100रु0 + 25 रु0 = 125 रु0 के स्टाम्प से प्रतिस्थापित किया गया है। अतएव अब गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र/न्यायिक स्टाम्प पत्र पर 100रु0 + 25 रु0 = 125 रु0 के स्टाम्प ड्यूटी वाले शपथ पत्र ही वैध एवं मान्य होंगे।
38. संवेदक के पास मिक्सचर मशीन, नोजल भाईट्रेटर, सेन्टरिंग प्लेट, वाटर टैंकर आदि स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेन देन का शपथ पत्र एवं स्वामित्व प्रमाण-पत्र देना होगा।
39. संवेदक के पास एक डिप्लोमा (सिविल)/ एक डिग्री (सिविल) अभियंता होना चाहिए तत्सम्बंधी उनका शपथपत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ-पत्र नियोजित एवं नियोजनकर्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री/डिप्लोमा अभियंता एक ही निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री/डिप्लोमा अभियंता भिन्न-भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजन के शपथ-पत्र दें तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।
40. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा। साथ ही सर्शत निविदा मान्य नहीं होगी।
41. सक्षम पदाधिकारी के दर अनुमोदन एवं कार्य आवंटन के एक सप्ताह के अन्दर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा।
42. निविदा के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पुरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। अनावश्यक विलम्ब पर नियमानुसार विपत्र से कटौती 0.5% per day अधिकतम 10% की जायेगी।
43. संवेदक को कार्य के दौरान विभागीय पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के साथ सचरित्रता एवं सदव्यवहारिकता से संबंधित शपथ पत्र संलग्न अनिवार्य होगा।
44. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे कार्य की गुणवत्ता की जाँच संवेदक को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर कराना आवश्यक होगा।


 जिला अभियंता,
 जिला परिषद सारण, छपरा।
 11.5.26
 11.5.26